

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर, 2017-भाद्र 17, शके 1939

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

##### नाम परिवर्तन

मैं, कमल कुमार साबनानी पुत्र श्री परशराम साबनानी, निवासी ढीमरपुरा, डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सूचित करता हूँ. आज दिनांक के पूर्व मुझे कन्हैयालाल साबनानी के नाम से जाना-पहचाना जाता था तथा मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम कन्हैयालाल साबनानी अंकित है तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम कमल कुमार अंकित है. इसीलिए आज दिनांक के बाद मुझे जिन दस्तावेजों में कन्हैयालाल साबनानी पुत्र श्री परशराम सबनानी नाम अंकित है. उसकी जगह मुझे मेरे दस्तावेजों में कमल कुमार साबनानी पढ़ा जायेगा एवं भविष्य में समस्त शासकीय/गैरशासकीय कार्य कमल कुमार साबनानी के नाम से सम्पन्न होंगे.

पुराना नाम :

( कन्हैयालाल साबनानी )

(340-बी.)

नया नाम :

( कमल कुमार साबनानी )

निवासी-ढीमरपुरा, डबरा, जिला ग्वालियर.

##### नाम परिवर्तन

मैं, सोने सिंह भदौरिया पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया, निवासी ग्राम-मिहोना, जिला भिण्ड का निवासी हूँ. मेरी एक बीमा पॉलिसी 20069610 है. उसमें भूल से मेरा नाम सोने सिंह लिखा गया है. मेरे सभी दस्तावेजों में सोनू सिंह लिखा है. अतः मेरा सही नाम सोनू सिंह ही जाना जावे.

पुराना नाम :

( सोने सिंह भदौरिया )

(341-बी.)

नया नाम :

( सोनू सिंह भदौरिया )

ग्राम-रामपुरा, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड.

##### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा वास्तविक नाम श्यामा पाटीदार है जो मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, मतदाता-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र में दर्ज है.

लेकिन मेरे पुत्र अमन पाटीदार (पिता सुखलाल पाटीदार) के शैक्षणिक दस्तावेजों में माता नाम में त्रुटिवश मेरा नाम श्यामकला पाटीदार दर्ज हो गया है.

इसलिए इस जाहिर सूचना के माध्यम से मैं सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा वास्तविक नाम श्यामा पाटीदार ही है. अतः मेरे पुत्र अमन पाटीदार के सभी शैक्षणिक व शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम श्यामा पाटीदार सुधारा/दर्ज किया जावे व पढ़ा जावे.

( श्यामा पाटीदार )

पति-सुखलाल पाटीदार,  
निवासी-140 बी, सुदामा नगर,  
इंदौर (म.प्र.) पिन-452009.

(342-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण सूचित हो कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम धनकुमार जैन अंकित है. मैंने अपना धनकुमार जैन के स्थान पर अमन जैन रख लिया है. लोगों द्वारा मुझे अमन जैन के ही नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे एवं मेरा पूर्व पते के स्थान पर वर्तमान नवीन पता नई सड़क बैंक कॉलोनी बावन पायगा "श्याम निवास" लशकर, ग्वालियर जाना जावे. अतः भविष्य में मुझे मेरे पुराने नाम धनकुमार जैन के स्थान नये नाम अमन जैन से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( धनकुमार जैन )

नया नाम :

( अमन जैन )

पुत्र श्री मुकेशकुमार जैन,  
निवासी-नई सड़क, बैंक कॉलोनी  
बावन पायगा, "श्याम निवास"  
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(343-बी.)

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा नाम विवाह के पहले निशा डागा पुत्री श्री गोकुलदास डागा था जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में भी अंकित है. मेरा विवाह प्रदीप गोदानी के साथ सम्पन्न हो जाने के बाद मेरा नाम निशा डागा पुत्री श्री गोकुलदास डागा से परिवर्तित होकर श्रीमती निशा गोदानी पत्नी श्री प्रदीप गोदानी हो गया है, और अब मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ तथा आगे भी इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊँ इस हेतु यह शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ.

पुराना नाम :

( निशा डागा )

पुत्री गोकुलदास डागा.

नया नाम :

( निशा गोदानी )

पत्नी प्रदीप गोदानी,  
निवासी-म. नं.-344, रचना नगर,  
भोपाल (म.प्र.).

(344-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री जयनारायण शर्मा, निवासी म.नं. 1, पंचवटी कॉलोनी ए. बी. रोड, रामाजी का पुरा के सामने बोहड़ापुर, लशकर, ग्वालियर मध्यप्रदेश. सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम LIC के कोमल जीवन प्लान में अर्पित शर्मा हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का वास्तविक व सही नाम अलौकिक शर्मा है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में वास्तविक नाम (ALOKIK SHARMA) अलौकिक शर्मा के नाम से जाना-पहचाना जावे. सर्व-साधारण सूचित हों.

आवेदक-

देवेन्द्र कुमार शर्मा,  
म. नं. 1, पंचवटी कॉलोनी, ए.बी.रोड,  
रामाजी का पुरा के सामने बोहड़ापुर,  
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(345-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री जयनारायण शर्मा, निवासी म.नं. 1, पंचवटी कॉलोनी ए. बी. रोड, रामाजी का पुरा के सामने

बोहड़ापुर, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश. सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम LIC के कोमल जीवन प्लान में जुगल शर्मा हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का वास्तविक व सही नाम खुशाल शर्मा है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में वास्तविक नाम (KHUSHAL SHARMA) खुशाल शर्मा के नाम से जाना-पहचाना जावे. सर्व-साधारण सूचित हों.

आवेदक-

( देवेन्द्र कुमार शर्मा )

म. नं. 1, पंचवटी कॉलोनी, ए.बी.रोड,  
रामाजी का पुरा के सामने बोहड़ापुर,  
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(348-बी.)

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं, श्रीमती अनुराधा कौशल पत्नि श्री दिनेश कौशल, निवासी रेसकोर्स रोड, ग्वालियर, यह लेख कर रही हूँ कि शादी के पूर्व मेरा नाम अनुराधा सोनी था तथा अब शादी के बाद मेरा नाम अनुराधा कौशल हो गया है. अतः अब मुझे अनुराधा कौशल के नाम से ही पहचाना जाये.

पुराना नाम :

( अनुराधा सोनी )

(351-बी.)

नया नाम :

( अनुराधा कौशल )

पत्नी श्री दिनेश कौशल,  
निवासी-रेसकोर्स रोड, ग्वालियर.

### नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मुझ श्रीमती रश्मि राज वर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, निवासी-सेक्टर-ई-2625, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.) का विवाह 24 नवम्बर, 2008 में संपन्न हुआ था. विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी रिकू पवैया पिता स्व. श्री बद्रीप्रसाद पवैया था. विवाह उपरान्त हमारे रीति-रिवाज अनुसार मैंने अपना नाम बदलकर रिकू पवैया के स्थान पर रश्मि राज वर्मा रख लिया है.

अतः अब मुझे भविष्य में मेरे नये नाम रश्मि राज वर्मा के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम :

( रिकू पवैया )

पिता-स्व. श्री बद्रीप्रसाद पवैया.

(352-बी.)

नया नाम :

( रश्मि राज वर्मा )

पति-श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा,  
पता-सेक्टर ई-2625, सुदामा नगर,  
इंदौर (म.प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

मैं, संतोष अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बाबूलालजी अग्रवाल अपने तथा अपनी पत्नी तथा बच्चों की ओर से अपने पूर्व कुलनाम सिंघल का उपयोग पूर्णतः त्यागता हूँ. अब भविष्य में मुझे सभी अभिलेखों, लेखों, सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में संतोष अग्रवाल के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( संतोष सिंघल )

(357-बी.)

नया नाम :

( संतोष अग्रवाल )

### NOTICE

Notice in change in the constitution of the firm M/s Status Realty, This is to publicly notify that w.e.f. 25-06-2017. Siraj Siddique S/o Haroon Siddique unfortunately expired on 24-06-2017 and Haroon Siddique S/o Haji Habib Dadda Bhai Voluntarily retired from partnership firm M/s Status realty on 24-06-2017. After Siraj Siddique & retirement of Haroon Siddique a new deed of partnership executed on 30-06-2017 w.e.f. 25-06-2017 Dr. Riyaz Siddique S/o Haroon Siddique, Shabana Siddique W/o Siraj Siddique,

Ahmed Siddique S/o Salim Siddique and Saba Hingora W/o Rizwan Hingora entered as a partner w.e.f. 25-06-2017. This notice is issued in the interests of all the related parties of the firm and general public.

For Status Realty,  
**SALEEM SIDDIQUE,**  
**MOHD. HANIF CHARA,**  
(Partner).

(335-B.)

### जाहिर सूचना

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स बालाजी डेवलपर्स, 205, द्वितीय मंजिल, सिटी सेन्टर 570, एम. जी. रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन क्रमांक 03/27/01/0413/15, दिनांक 26 मार्च, 2015 पर रजिस्टर्ड फर्म है. दिनांक 29 मई, 2015 को सर्वश्री (1) संजीव अग्रवाल पिता श्री रामजीलाल अग्रवाल, (2) रूपेश सिंह राठोर पिता रघुवीरसिंह राठोर, (3) विजय शर्मा पिता गोपाल शर्मा, (4) नीरजसिंह राठोर पिता रघुवीरसिंह राठोर, स्वखुशी एवं आपसी सहमति से भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं तथा 29 मई, 2015 से ही सर्वश्री (1) श्री कृष्णपालसिंह पिता शिवपालसिंह सागर, (2) राजीव शर्मा पिता सुदर्शन शर्मा, (3) अतुल दुबे पिता प्रताप नारायण दुबे, (4) विश्वनाथ साहु पिता मुकुन्दराम साहु स्वखुशी एवं आपसी सहमति से फर्म से अलग हो गये हैं. फर्म में इनका कोई लेन-देन शेष नहीं है.

वास्ते-फर्म बालाजी डेवलपर्स,  
**अतुल मेहता,**  
(पार्टनर).

(336-बी.)

### जाहिर सूचना

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स आदित्य ट्रेडिंग, 33-बी, सुविधि नगर, छोटा बांगडदा, इन्दौर म.प्र. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन क्रमांक 03/27/01/0215/17, दिनांक 06-02-2017 पर रजिस्टर्ड फर्म है. दिनांक 01-04-2017 को दोनों भागीदारों (1) अतुल मेहता पिता श्री कैलाशचंद्र मेहता, (2) लखन तिवारी पिता स्व. श्री बाबूलाल तिवारी ने आपसी सहमति से फर्म आदित्य ट्रेडिंग को विघटन विलेख (डिसोलुशन डीड) निष्पादित कर फर्म दिनांक 01-04-2017 को विघटित (डिसाल्व) कर दी है, अब इस फर्म का अस्तित्व नहीं है, हमें इस फर्म से कुछ लेना-देना नहीं है.

वास्ते-आदित्य ट्रेडिंग,  
**अतुल मेहता,**  
**लखन तिवारी,**  
(पार्टनर).

(337-बी.)

### आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स अलायना इण्डस्ट्रीज द्वारा पार्टनर श्रीमती निष्ठा पचौरी पत्नी श्री गौरव पचौरी, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी म.नं. पी-6, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, सन सिटी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेसर्स अलायना इण्डस्ट्रीज, पंजीकृत पता-पार्ट ऑफ 36, सेक्टर ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डदीप, गोहरगंज, रायसेन, मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00308/14, दिनांक 01-10-2014 पंजीकृत साझेदारी फर्म है. उक्त फर्म में दिनांक 19-08-2017 को सभी साझेदारों की सहमति से श्री गौरव पचौरी पुत्र श्री टी. आर. पचौरी, आयु वयस्क, निवासी म. नं. पी-6, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, सन सिटी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश से फर्म में साझेदार के रूप में दिनांक 19-08-2017 को सम्मिलित हुए हैं तथा दिनांक 19-08-2017 को निष्पादित विलेख के माध्यम से श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री सी. पी. शर्मा, आयु-वयस्क, निवासी म. नं. 4, शाहजानाबाद, भोपाल मध्यप्रदेश फर्म से स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से अलग हो गये हैं. फर्म में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद नहीं है.

भवदीय,  
**B.S. RAJPUT** (एडवोकेट)  
अदिति लॉ चैम्बर,  
P.N. 244, Chamber N.1, Basement,  
King Shopping Centre, Zone-1,  
M.P. Nagar, Bhopal (M.P.).

(338-B.)

**जाहिर सूचना**

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैसर्स माँ चामुण्डा इंटरप्राइजेस 203, अर्पित अपार्टमेंट 3-ए, जानकी नगर, इन्दौर भागीदारी, फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0384/15, दिनांक 25-02-2015 है, मैं, भागीदार श्री परमानंद पिता श्री रामानंद राय, निवासी 92/12, नंदानगर इन्दौर एवं प्रदीप पिता श्री रामलाल जायसवाल, निवासी 1623-डी, सुदामानगर, इन्दौर को दिनांक 01-04-2017 भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत रिटायर्ड हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स माँ चामुण्डा इंटरप्राइजेस,  
हरिओम शिवहरे,  
(भागीदार).

(339-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित हो, कि हमारी फर्म मै. उदयवीर सिंह ठेकेदार, भिण्ड फर्म रजि. नं. ए आर जी/59, पता महेन्द्र नगर, नवादा बाग, भिण्ड के नाम से रजिस्टर्ड है. उक्त फर्म में दिनांक 19-07-2017 को नाम परिवर्तित करते हुए फर्म का नाम मै. उदयवीर सिंह भदौरिया किया गया है.

मै. उदयवीर सिंह भदौरिया,  
प्रवीण सिंह भदौरिया,  
(भागीदार).

(346-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि भागीदारी फर्म "आर. ओ. वर्ल्ड" रजि. क्र. 03/27/01/0001/17 दोनों भागीदारों श्री नितिन कुलकर्णी एवं नेहा कुलकर्णी कि आपसी सहमति से दिनांक 19-07-2017 को भंग कर दी गई है.

फर्म के भागीदारों के नाम: ( 1 ) श्री नितिन कुलकर्णी, ( 2 ) नेहा कुलकर्णी.

फॉर "आर. ओ. वर्ल्ड"  
नितिन कुलकर्णी,  
शाँप नं. 7, कोमल मेशन 130-131,  
अहिल्या नगर, एक्सटेंशन इन्दौर (म.प्र.) 452009.

(347-बी.)

**जाहिर सूचना****भारतीय भागीदारी अधिनियम,1932 के अधीन**

सर्व-सूचित हो कि मेसर्स हरिओम कंस्ट्रक्शन, ए-1, अनुप्रास कॉम्पलेक्स, शुभांजलीपुरम, भारत पेट्रोल पम्प के पास, बीएसएफ कॉलोनी के सामने, भिण्ड रोड, ग्वालियर-474006 (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0116/15 में क्रमशः श्री प्रधान सिंह भदौरिया पुत्र श्री गिरवर सिंह भदौरिया, श्री अवधेश सिंह कुशवाह पुत्र श्री शत्रुघ्न सिंह कुशवाह एवं श्रीमति ललिता भदौरिया पत्नी श्री प्रधान सिंह भदौरिया, भागीदार हैं. दिनांक 12-08-2017 से श्री अवधेश सिंह कुशवाह पुत्र श्री शत्रुघ्न सिंह कुशवाह उक्त फर्म से अपनी आपसी सहमति से पृथक् हो गये है.

अतएव दिनांक 12-08-2017 से मेसर्स हरिओम कंस्ट्रक्शन, ए-1, अनुप्रास कॉम्पलेक्स, शुभांजलीपुरम, भारत पेट्रोल पम्प के पास, बीएसएफ कॉलोनी के सामने, भिण्ड रोड, ग्वालियर-474006 (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0116/15 में क्रमशः श्री प्रधान सिंह भदौरिया, पुत्र श्री गिरवर सिंह भदौरिया एवं श्रीमति ललिता भदौरिया पत्नी श्री प्रधान सिंह भदौरिया समस्त फर्म के क्रमशः 51 एवं 49 प्रतिशत के भागीदार हैं.

शैलेष गर्ग,  
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)  
ग्वालियर (म.प्र.).

(349-बी.)

**NOTICE****(U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)**

Notice is hereby given that the firms " M/s K.L. ENTERPRISES " of Bhopal *Vide* Reg. No. 01/01/01/0616/15, Dated 30-03-2015 undergone the following changes:-

That (1) Subodh Dwivedi S/o Shri C.B. Dwivedi, (2) Shri Anubhav Shighvi S/o Shri Sunil Singhvi, (3) Shri Rajeev Ranjan Sinha S/o Shri Anjani Kumar Sinha has joined and (1) Arun Agrawal S/o Shri Late Banshidhar Agrawal desire to retire from the partnership firm *w.e.f.* 07-07-2017.

That the principal place of business is Remain same at LIG AX-421, Ganpati Enclave, Kolar Road, Bhopal (M.P.) *w.e.f.* 07-07-2017.

"M/s K.L. Enterprises "

**ANIL TIWARI,**

(Partner).

(350-B.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि भागीदारी फर्म मैसर्स ए. व्ही. कॉर्प (M/s A.V. CORP) पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00144/08 पर दिनांक 14-02-2008 कार्यालय के-4, शुभांजलि पुरम, भिण्ड रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश के भागीदार श्री नारायणप्रसाद रिछारिया, पुत्र स्व. श्री रामसेवक रिछारिया, निवासी-ई.एच.-26, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.) दिनांक 16-05-2009 से आपसी सहमति से फर्म से पृथक हो गये है अर्थात श्री नारायणप्रसाद रिछारिया की भागीदारी समाप्त हो चुकी है तथा श्रीमती आशा कपूर, पत्नी श्री मुरारिलाल कपूर, निवासी-बी. एच.-81 ए दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.) को फर्म में दिनांक 16-05-2009 से बतौर भागीदार सम्मिलित किया गया है तथा श्रीमती किरण आहूजा पत्नी श्री संजय आहूजा, निवासी-सी-13, चेतकपुरी, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म में दिनांक 23-05-2014 से बतौर भागीदार सम्मिलित किया गया है. फर्म के सभी भागीदारों द्वारा संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 28-08-2017 को संपादित किया गया है, जो हम सभी भागीदारों को स्वीकार है, फर्म के पते में भी परिवर्तन किया गया है फर्म का वर्तमान पता बी. एच.-81, डी. डी. नगर, ग्वालियर मध्यप्रदेश होगा. अतः सर्व-साधारण सूचित हों.

इति दिनांक 29-08-2017

मैसर्स ए. व्ही. कॉर्प (M/s A.V. CORP)

राहुल कपूर,

नारायणप्रसाद रिछारिया,

आशा कपूर,

किरण आहूजा

(भागीदार).

(353-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स वामन इन्फोकॉन इन्दौर जो कि फर्म एवं संस्थाएं कार्यालय इन्दौर में एक रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म है जिसका रजिस्ट्रेशन क्र.03/27/01/0245/17, सन् 2017-18 है. उक्त फर्म का पुराना पता 110, रॉयल बंगलों, एम आर-10, सुखलिया, इन्दौर था एवं अब फर्म का नवीन पता दिनांक 24-01-2017 से नं. 8-ए, स्क्रीम नं. 59, चौईथराम सब्जी मंडी के सामने (अमितेष नगर) इन्दौर रहेगा एवं उक्त फर्म में दिनांक 24-01-2017 से नये भागीदार के रूप में श्री कुतुबुद्दीन अकिल राजगढवाला एवं श्री दीपक दुबे ने नवीन भागीदार के रूप में फर्म में प्रवेश किया है.

कृते-वामन इन्फोकॉन,

**मोहम्मद आरिफ खान,**

(भागीदार).

संदीप सुरेन्द्र जैन

कंपनी चार्टर एकाउंटेंट,

(354-बी.)

11, जवाहर मार्ग थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.).

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स अम्बिका स्टोन इण्डस्ट्रीज, सेकेण्ड फ्लोर, गणेश कॉम्प्लेक्स, चेतकपुरी, झांसी रोड, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00029/12, दिनांक 03-05-2013 है। जिसमें दिनांक 02-08-2017 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 1 श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री राम अवतार शर्मा, आयु 53 वर्ष, निवासी 72, लाइन नं. 3, बिरला नगर, ग्वालियर कि फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं इनका इस फर्म से किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा उनके स्थान पर पक्षकार क्रमांक 1 श्री राम अवतार शर्मा पुत्र स्व. श्री राम देव शर्मा, आयु 82 वर्ष, निवासी 72, लाइन नं. 3 बिरला नगर, ग्वालियर जो कि नवीन साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं। भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेषर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार हैं।

फॉर-मैसर्स अम्बिका स्टोन इण्डस्ट्रीज,  
भूषण सूरी,  
(पार्टनर).

(355-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स धनराज जेटवानी स्थित सक्कर कॉलोनी नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर है। जिसका रिजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/42/01/00052/10, दिनांक 24-05-2010 है। जिसमें दिनांक 29-01-2017 से फर्म के नाम में परिवर्तन किया गया है। पूर्व का नाम मैसर्स धनराज जेटवानी के स्थान पर नया नाम मैसर्स धनराज जेटवानी कॉन्ट्रैक्टर्स किया गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स धनराज जेटवानी,  
पवन जेटवानी,  
(भागीदार).

(356-बी.)

## विविध

### निविदा सूचनाएं

इन्दौर, दिनांक 29 अगस्त, 2017

#### ई-निविदा सूचना

क्र./भण्डार/साफ-सफाई/2017/1431.-शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर के सम्पूर्ण भवन की साफ-सफाई के साथ-साथ खाली रील कोर के गुटके एवं रद्दी कतरन एकत्रित कर सुव्यवस्थित रखने हेतु ऑन-लाईन <https://www.mpeproc.gov.in> पर ई-टेंडर से तकनीकी भाग दिनांक 21-09-2017 3.30 बजे एवं कॉमर्शियल भाग दिनांक 22-09-2017 अपराह्न 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार पंजीकृत फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. निविदा प्रपत्र (Tender Form) एवं शर्तें वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर देखा जा सकता है।

3. निविदा प्रपत्र राशि रुपये 250/- (कर अतिरिक्त) प्रोसेसिंग फीस जमा करने पर ही [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) से Online क्रय किया जा सकता है।

4. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-टेंडर की हार्ड कॉपी सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स (Key Dates) अनुसार जमा करना होगा। ऑन-लाईन निविदा की हार्ड कॉपी "की-डेट" अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निविदाकार की अनुपस्थिति में उपस्थित हुए प्रतिनिधि को अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. सूचना/संशोधन या सुधार की स्थिति में जानकारी आई. टी. की वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> एवं विभाग की वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर उपलब्ध रहेगी।

लॉरेन्स रॉबर्टसन,  
उप-नियंत्रक,  
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,  
इन्दौर.

(1479)

ग्वालियर, दिनांक 31 अगस्त, 2017

#### ई-निविदा सूचना

क्र. भण्डार-2/साफ-सफाई/2017/2408.-शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर तथा लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार, ग्वालियर के सम्पूर्ण भवन (ऑफिस) एवं मुद्रणालय परिसर की साफ-सफाई, गमलों का रख-रखाव के साथ-साथ खाली रील कोर के गुटकों एवं रद्दी कतरन एकत्रित कर सुव्यवस्थित रखने हेतु आईटी विभाग की वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> पर ई-टेंडर से दरें

आमंत्रित की जाती है। निविदा का तकनीकी भाग दिनांक 03 अक्टूबर, 2017, अपराह्न 3:30 बजे एवं कॉमर्शियल भाग दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 अपराह्न 4.30 बजे तक की-डेट्स अनुसार पंजीकृत फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. निविदा प्रपत्र (Tender Form) एवं शर्तें वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर देखा जा सकता है।

3. निविदा प्रपत्र राशि रुपये 250/- (कर अतिरिक्त) प्रोसेसिंग फीस जमा करने पर ही [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) से Online क्रय किया जा सकता है।

4. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-टेंडर की हार्ड कॉपी सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स (Key Dates) अनुसार जमा करना होगा। ऑन-लाईन निविदा की हार्ड कॉपी "की-डेट" अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निविदाकार की अनुपस्थिति में उपस्थित हुए प्रतिनिधि को अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. सूचना/संशोधन या सुधार की स्थिति में जानकारी आई. टी. की वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> एवं विभाग की वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर उपलब्ध रहेगी।

श्रीनिवासा डी. सी.,

उप-नियंत्रक,

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,

ग्वालियर.

(1480)

## न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, रा. परि. टी. टी. नगर, भोपाल

प्र.क्र.06/बी-113/2016-17.

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि (अखण्ड भारत सरदार पटेल महासभा ट्रस्ट) द्वारा श्री राजेश पटेल ट्रस्टी एवं सचिव, निवासी/दुकान नं.-20, ई-2/21, निचला तला, कामधेनु टावर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 31 अगस्त, 2017 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों। वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

### अनुसूची

- |                  |   |                                     |
|------------------|---|-------------------------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | अखण्ड भारत सरदार पटेल महासभा ट्रस्ट |
| 2. अचल संपत्ति   | : | निल.                                |
| 3. चल संपत्ति    | : | 2100/-                              |

आज दिनांक 22 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

अतुल सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(1463)

## अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक महिला बहु, सहकारी संस्था मर्या., नया बलारपुर

दिनांक 05 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./B.1.—महिला बहु, सहकारी संस्था मर्या., नया बलारपुर, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 738, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 है। को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1926, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।



अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 05 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1466)

### कार्यालय, परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., दबरा दिनारा

दिनांक 05 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./B.2.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., दबरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 754, दिनांक 26 अप्रैल, 2017 है। को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1927, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 05 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1466-A)

### कार्यालय, परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., काली पहाड़ी

दिनांक 05 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./B.3.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., काली पहाड़ी, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 755, दिनांक 26 अप्रैल, 2017 है। को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1928, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 05 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1466-B)

### कार्यालय, परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., झिरी

दिनांक 05 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./B.4.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., झिरी, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 764, दिनांक 26 अप्रैल, 2017

है को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1929, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 05 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1466-C)

### कार्यालय, परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़

दिनांक 05 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./B.5.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 765, दिनांक 26 अप्रैल, 2017 है। को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1930, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 05 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1466-D)

### कार्यालय, परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., पोढियार्ह

दिनांक 05 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./B.6.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., पोढियार्ह, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 770, दिनांक 04 मई, 2017 है। को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1931, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 05 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1466-E)

### कार्यालय, परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., लोहादेवी

दिनांक 05 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./B.7.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., लोहादेवी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 771,

दिनांक 04 मई, 2017 है. को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1932, दिनांक 27 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 05 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1466-F)

### कार्यालय, परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., अटरूनी

दिनांक 05 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./B.8.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., अटरूनी, तहसील कोला., जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 772, दिनांक 04 मई, 2017 है. को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1933, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 05 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1466-G)

### कार्यालय, परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., दीघौटी

दिनांक 05 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./B.9.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., दीघौटी, तहसील कोला., जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 773, दिनांक 04 मई, 2017 है. को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1934, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 05 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1466-H)

### कार्यालय, परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बामोर

दिनांक 05 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./B.10.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बामोर, तहसील कोला., जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 774,

दिनांक 04 मई, 2017 है. को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1935, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 05 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. पी. राठौर,  
परिसमापक.

(1466-1)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 05 अगस्त, 2017

10 अगस्त, 2017

#### संशोधित आदेश

प्रशासनिक कार्यसुविधा की दृष्टि से कॉलम क्रमांक 02 में वर्णित संस्थाओं के पूर्व प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम क्रमांक 04 के नियुक्त परिसमापकों के स्थान पर कॉलम क्रमांक 05 अनुसार परिसमापक नियुक्त किया जाता है. नवनियुक्त परिसमापक संस्था की नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर दो माह में संस्था का अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे.

क्र.	परिसमापनाधिन सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन आदेश क्र./दिनांक	पूर्व नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम	वर्तमान में नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	5
1.	हेण्डलुम विवर्स बुन. सह. संस्था मर्या., महेश्वर.	1078/22-08-1947	196/30-01-1974	श्री मो. रफीक अंसारी, सह. निरी. तकनिकी.	श्री राजेश जोशी, निरी. तकनिकी.
2.	मोमीन विवर्स बुन. सह. संस्था मर्या., महेश्वर.	194/25-08-1954	2194/29-08-1991	श्री मो. रफीक अंसारी, सह. निरी. तकनिकी.	श्री राजेश जोशी, निरी. तकनिकी.
3.	माँ रेवा प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., महेश्वर.	1452/19-10-2003	50/07-05-2004	श्री आशीष सेठिया, उप अंके.	श्री आर. के. रोमडे, सह. निरी.
4.	सर्वोदय मुद्र. एवं बाईडिंग उ. सह. संस्था मर्या., खरगौन.	50/07-05-2004	1388/06-11-2009	श्री आशीष सेठिया, उप अंके.	श्री आर. एस. ठाकुर, उप अंके.
5.	धनलक्ष्मी बहु. सह. संस्था मर्या., खरगौन.	1328/29-10-2014	1317/29-10-2014	श्री के. के. अधिकार, व. स. नि.	श्री सोहनसिंह चौहान, सह. निरी.
6.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., मेथावा	907/05-10-2003	641/08-02-2016	श्री एस. आर. कोचले, व. स. नि.	श्री एच. सी. यादव, उप अंके.
7.	किसान फसल सुरक्षा सह. संस्था मर्या., गोमांवा.	1511/20-04-2007	761/18-06-2014	श्री के. के. अधिकार, व. स. नि.	श्री राधेश्याम चौहान, उप अंके.

यह सूचना आज दिनांक 05 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

राजेश क्षत्री,  
उप-पंजीयक.

(1472)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8, 2017-भाद्र 17, शके 1939

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में प्रायः इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा टीकमगढ़ को छोड़कर राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील शिवपुरी, कोलारस, पोहरी (शिवपुरी), मुंगावली, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), अजयगढ़ (पन्ना), दमोह (दमोह), रघुराजनगर, रामनगर (सतना), रायसेन (रायसेन), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मंझोली (जबलपुर) उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. **जुताई.**- जिला पन्ना में जुताई व बालाघाट में रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. **बोनी.**- ..

4. **फसल स्थिति.**- ..

5. **कटाई.**- जिला गुना में सरसों, चना, सागर में फसल मसूर, चना, आगर व बुरहानपुर में चना, गोहूँ, बैतूल में गोहूँ, चना, मटर, मसूर व मुरैना, पन्ना, दमोह, सीधी, शाजापुर, इन्दौर, खरगौन, राजगढ़, भोपाल, सीहोरा, डिण्डोरी व मंदसौर में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. **सिंचाई.**- जिला सागर, शहडोल, बड़वानी व रायसेन में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुथरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. फसलों की कटाई का कार्य चालू हैरु	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	. . . . . . . . . . . .				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मैथी, मटर. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	. . . . . .				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन	. . 2.0 . . . . . . . . . .				
<b>4. *जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	. . . . . . . .				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों गन्ना. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर	. . . . . .				
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	4.0 . . . . . . . . 4.0 4.0 . .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	4.0		4. (1) उड़द, मक्का, गेहूँ, चना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	12.0		(2) . .		
4. चन्देरी	9.0				
5. शाढौरा	. .				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. फसल सरसों, चना की	3. . .	5. पर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. गुना	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	. .		सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) चना, राई-सरसों, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7 पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व रबी फसल की	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	10.2	कटाई कार्य चालू है.	4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. पन्ना	. .		तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		तिल.		
4. पवई	. .		(2) . .		
5. शाहनगर	. .				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. मसूर, चना की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. बीना	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		आलू, प्याज अधिक.		
4. सागर	. .		(2) . .		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, तिवड़ा, जौ सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	1.0				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, जौ, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	2.6				
2. मझगावां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	3.0				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, जौ, अधिक. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. गोहपारु	..				
4. जैसिंहनगर	..				
5. बुढार	..				
6. जैतपुर	..				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर, अलसी, मसूर समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, तुअर, राई, चना, अलसी समान. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4 (1) चना, गेहूँ अधिक, राहर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4.(1) गेहूँ चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
<b>22. *जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4 (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
<b>23. *जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4 (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4 (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
<b>25. जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ व चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4 (1) गेहूँ, चना, रायर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4 (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. कपास कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .				
2. टोंकखुर्द	. .				
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. थांदला	. .				
2. मेघनगर	. .				
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मूँगफली अधिक. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. जोवट	. .				
2. अलीराजपुर	. .				
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .				
2. सरदारपुर	. .				
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .				
2. सांवेर	. .				
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) मक्का तुअर, चना अधिक. ज्वार, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, गेहूँ, अलसी, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें ठीक.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .				
2. महेश्वर	. .				
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का, अधिक, ज्वार कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. ठीकरी	. .				
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
<b>34. *जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . . (2) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .				
3. हरसूद	. .				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. चना एवं गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .				
3. नेपानगर	. .				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .				
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .				
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. फसलों की कटाई का कार्य चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .				
3. इच्छावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रायसेन	4.4		4. (1) चना, तिवड़ा, मसूर, मटर, अलसी, राई-सरसों, मूँग अधिक. गेहूँ, धनिया कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल, गेहूँ, चना, मटर, मसूर की कटाई चालू.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .				
2. घोड़ाडोंगरी	. .				
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .				
2. होशंगाबाद	. .				
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढी	. .				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, अधिक. चना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	. .				
2. खिड़किया	. .				
3. टिमरनी	. .				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, अधिक. चना, मटर, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	3.2				
2. पाटन	5.6				
3. जबलपुर	2.0				
4. मझोली	2.0				
5. कुण्डम	. .				
<b>45. *जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. कटनी	. .				
2. रीठी	. .				
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, धान, मसूर,चना, मटर, अधिक. सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) . .		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुरा	. .				
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांडुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हरई	. .				
11. बोलखेड़ा	. .				
<b>50. *जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादोन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.-\*जिला ग्वालियर, नीमच, रतलाम, खण्डवा, कटनी व सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1462)